IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ARCHANA TYAGI

श्रीमती अर्चना त्यागी

अधिवक्ता

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

प्रस्तावना

भारत में न्यायालयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित मामलों में प्रदर्शित विभिन्न दो प्रकार के दृष्टिकोणों का विवेचन किया गया और यह पाया गया कि न्यायालयों के समक्ष पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित मामलों में निर्णय लेने के दौरान प्रमुखत: दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण विचार हेतु रखे गये हैं। प्रथम दृष्टिकोण यह है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को यथासंभव संरक्षित किया जाये। जबकि दूसरा दृष्टिकोण यह है कि पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी उपायों के कारण देश का विकास बाधित न हो। उच्चतम न्यायलय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के मामलों में पोषणीय विकास के सिद्धान्तों को लागू करते हुए इन दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में न्यायलयों के समक्ष पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के संदर्म में विभिन्न मामलों पर विचार करने के दौरान प्रतिवादी पक्षकार द्वारा 'जीविका' के मूलाधिकार के उल्लंघन तथा विकास में अवरोध होने के तर्क दिये जाते रहे हैं और इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण एवं जीविका के मूलाधिकार तथा विकास के बीच भी विरोधामासी स्थिति रही है। न्यायपालिका द्वारा इस प्रकार की परम्परा विरोधाभासी स्थिति में सामंजस्य स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए स्थायी या पोषणीय विकास को बढ़ावा देने तथा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। यहाँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की विवेचना करना समीचीन होगा जिनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पोषणीय विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और विकास तथा पर्यावरण संरक्षण में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ऐसे मामलों में खदान, खान, पत्थर की पिसाई, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषक उत्सर्जन, नगरीय विकास तथा निर्माण कार्य वायु प्रदूषण, भूमि विकास से सम्बन्धित कार्य तथा वन्य-जीव संरक्षण इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में निर्णय दिये गये हैं।

खदान, खान इत्यादि से कारित प्रदूषण एवं पर्यावरणीय संरक्षण

मंसूरी के आस-पास हिमालय की तलहटी में चूना पत्थर की खानों की खुदाई से पर्यावरण एवं पारिथितिकी पर पड़ने वाली विध्वंसकारी प्रभाव की ओर वर्ष 1983 में एक स्वयं सेवी संस्था द्वारा पत्र लिखा कर उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया और उच्चतम न्यायालय ने इसे एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार करके उत्तर प्रदेश राज्य और देहरादून के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर हाजिर होने का आदेश जारी किया। रूरल लिटिगेशन एण्ड इनटाइटिलमेण्ट केन्द्र, देहरादून बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०' नामक इस मामले में मुख्य विवादित प्रश्न यह था कि क्या पारिस्थितिकी और पर्यावरण के खतरे के आधार पर चूना-खानों के कार्य को बन्द करने का आदेश दिया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यह मामला भारत देश में प्रथम मामला है जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मुद्दे उठे हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती, न्यायमूर्ति अमरेन्द्र नाथ सेन और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की न्यायपीठ व्यापक सुनवाई के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची कि

1. चूना पत्थर खनन कार्यों के कारण जहाँ पारिस्थितिकीय असंतुलन अथवा स्वस्थ पर्यावरण को परिसंकट है वहाँ न्यायालय खनन कार्य को बन्द करने का आदेश देगा
2. खानों के बन्द करने के फलस्वरूप चूना पत्थर खान पट्टा धारक व्यवसाय से बाहर हो जायेंगे जिसमें कि उन्होंने बड़ी रकम लगाई है और पर्याप्त समय और प्रयास लगाया है। यह निःसंदेह रूप में उनके समक्ष कठिनाई उत्पन्न करेगा

न्यायमूर्तियों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि खान पट्टा धारकों को इस प्रकार की कीमत चुकानी पड़ेगी जिससे कि –"न्यूनतम पारिस्थितिकीय संतुलन में अव्यवस्था और तात्ज्य परिसंकट बिना लोगों और उनके पशुओं, घरों और कृषि भूमि को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके और वायु जल और पर्यावरण पर पड़ने वाले अनावश्यक कुप्रभाव को बचाया जा सके।"

वनों की कटाई होने से प्रदूषण एवं पर्यावरणीय संरक्षण

भारत में प्राचीन काल से ही वृक्षों का सम्मान करना एवं उन्हें पूजना एक परम्परा रही है और प्राचीन शास्त्रों में पीपल, नीम, बरगद जैसे पेड़ों अथवा फलदार वृक्षों के लगाने से मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गयी है तथा इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के भावी पीढ़ी के लोग लाभान्वित होते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी वृद्धों के महत्व का रूरल लिटिगेशन एण्ड इनटाइटिलमेण्ट केन्द्र, देहरादून बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के मामले में विस्तार से वर्णन करते हुए यह कहा गया कि वनभूमि संरक्षण, वर्षा होने, बाढ़ रोकने, जल स्रोतों का पोषण करने, नदियों का निग्रह करने, पहाड़ो को रोकने, वायु के वेग को रोकने तथा वायु को शुद्ध रखने इत्यादि जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

बनवासी सेवा आश्रम बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के मामले में बनवासी सेवा आश्रम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन एक पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय से उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को अवैध घोषित करने के लिए अनुरोध किया गया था जिसके अधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन के कुछ भाग को आरक्षित वन घोषित किया और कुछ भाग को नेशनल थर्मल कारपोरेशन लिमिटेड स्थापित करने के लिए अर्जित कियायाचीकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस भूमि पर कई पीढ़ियों से आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जंगल में रहते चले आ रहे हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वन उत्पादों जैसे – फल, सब्जियों, चारा, फूल, इमारती लकड़ी, पशुओं और ईंधन का उपयोग करते रहे है। अतः उच्चतम न्यायालय ने थर्मल प्लांट बनाने की अनुमति तो दे

दी परन्तु साथ ही साथ यह निर्णय भी दिया कि आदिवासियों द्वारा उपयोग किये जा रहे जंगल की भूमि का अर्जन तभी विधिमान्य होगा जब एन०टी०पी०सी० बेघर हुए लोगों को पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम गणेश वुड प्रोडक्ट्स के मामले में वन पर आधारित कत्था जैसे उद्योग चलाने और पारिस्थितिकीय और वन सुरक्षा के बीच वरीयता का प्रश्न उठा था। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वन पर आधारित कत्था जैसे उद्योग लगाने का अधिकार अत्यन्तिक (एब्सोल्यूट) नहीं है। प्रदीप कृष्ण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों की सीमा से लगे हुए गाँवों के लोगों एवं आदिवासियों को राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों से तेंदू की पत्तियाँ इक्ट्ठी करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सरकार के इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि इस आदेश से पारिस्थितिकी, पर्यावरण, राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों के जीवों को खतरा पैदा हो सकता था। एस० जगन्नाथ बनाम भारत संघ के मामले में एक वाद दायर कर समुद्रीतटीय क्षेत्रों में आधुनिक रीति से दस पैर वाले केकड़े के पालन की गतिविधि से उत्पन्न वारिस्थैतिकी तंत्र को खतरे और उच्च प्रदूषण बहिःस्राव, जल प्रदूषण, प्राकृतिक बाढ़ जल बहाव में व्यवधान, मत्स्य शिकार की कमी और समुद्र किनारे पहुँच में व्यवधान की चुनौती दी गयी। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक केकड़ा पालन की अनुमति देने के पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन किया चाहिए। आकलन के अंतर्गत विभिन्न जनसंख्या स्पर पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत अंतर्पीढ़ी साम्या और प्रभावित लोग के लिए प्रतिकर पर विचार किया जाना चाहिए।

पीपुल्स यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कलकत्ता बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य' के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालया कर्तव्य है कि वह विकास कार्यक्रमों और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रखे। उच्च न्यायालय में पर्यावरण संरक्षण में आर्द्र भूमि के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि आर्द्र भूमि पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के लिए आवश्यक है। परिणामतः उच्च न्यायालय ने आर्द्र भूमि पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस तरह न्यायालयों ने विकास और पर्यावरण की आवश्यकताओं में सामजस्य स्थापित करते हुए पोषणीय विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

न्यायिक गतिशीलता एवं सृजनशीलता

न्यायालय का प्रमुख कार्य विद्यमान विधि की व्याख्या कर सम्बन्धित पक्षकारों के बीच अधिकार और कर्त्तव्य का निरूपण करना होता हैविगत तीन दशकों में पर्यावरण विधि के अम्युदय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता तथा श्रीमती मेनका गाँधी बनाम भारत संघ के मामले में दी गयी अनुच्छेद 21 की नवीन व्याख्या की पृष्ठिभूमि में उच्चतम न्यायालय ने लोकहित वाद को प्रश्रय देकर पर्यावरणीय संरक्षण को सुनिश्चित करना प्रारम्भ किया। पर्यावरणीय संरक्षया हेतु उच्चतम न्यायालय ने प्रगतिशील निर्वाचन का सहारा लिया, राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्त्तव्यों को सार्थक बनाने हेतु उनकी प्रवर्तनीय प्रकृति को नजरअंदाज कर उन्हे प्रभावकारी ढंग से लागू करने का प्रयास किया। ये सभी कदम न्यायिक सृजनशीलता के कारण सम्भव हो सके। न्यायिक गतिशीलता के मामलों के अंतर्गत पूर्ण दायित्व सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले मामले पूर्व सावधानी एवं प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांतो को लागू करने वाले मामले निगरानी, हरित पीठ एवं पर्यावरण संरक्षण निधि का गठन करने सम्बन्धी निर्देश देने वाले मामले सम्मिलित है। प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति देना और पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय संरक्षण बन्द करने देश के विकास के लिए उद्योगों को स्थापित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पारिस्थितिकीय और पर्यावरण को संरक्षित रखना हैउच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में उद्योगों में से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ-साथ विकास हेतु उद्योगों को चलाने की अनुमति देकर इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया' (ओलियम गैस रिसाव का मामला) का उल्लेख किया जा सकता है। जिसमें उच्चतम न्यायालय ने परिसंकटमय पदार्थों और स्वभावतः घातक पदार्थों सम्बन्धी उद्योगों को दूसरे स्थान पर अन्तरित करने काआदेश दिया परन्तु इसके साथ ही यह विचार भी व्यक्त किया कि इन उद्योगों को पुनः चालू करने के पूर्व सुनिश्चित पर लिया जाये कि वे जल प्रदूषण अधिनियम 1974, और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, की शर्तों को पूरा करते है। उच्चतम न्यायालय ने संयंत्र में विद्यमान खामियों को दूर करने का उपाय बताने हेतु एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की। यह संतुष्ट होने पर कि सुरक्षा और नियंत्रण सम्बन्धी उपाय संतोषजनक तरीके से अनपाये गये हैं। उच्चतम ने कहा कि जब तक संयंत्रों को दूसरी जगह अंतरित करने का मामला लम्बित है तब तक जल और वायु अधिनियमों के कठोर अनुपालन की शर्त पर उन्हें पुनः शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है

फैलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोशिएशन बनाम मेनका गाँधी के मामले में दिल्ली के परिसंकटमय उद्योग के चलाये जाने पर विचार किया गया और ईदगाह कसाईखाना का पारिस्थैतिकी पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कुछ समय के लिए, जब तक तदर्थ स्थान की व्यवस्था नहीं हो जाती स्वच्छता बनाये रखने की शर्त के अधीन कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति प्रदान की।

इण्डियन कौंसिल फॉर इनवायरो लीगल ऐक्शन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया" (समुद्र तटीय संरक्षण मामला) के वाद में तटीय क्षेत्रों में सरकारी अधिसूचना के विपरीत उद्योग लगाकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाने के विरूद्ध लोक हित वाद दायर किया गया। उच्चतम न्यायालय ने इन कृत्यों को अवैधानिक माना, परन्तु न्यायालय पोषणीय विकास की अपेक्षा को ही महत्व देना उचित समझा। उच्चतम न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि "यद्यपि कि आर्थिक विकास कोपारिस्थैतिकी अथवा व्यापक पर्यावरणीय विनाश और उल्लंघन की कीमत पर अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु उसी समय पारिस्थितिकी और पर्यावरण

संरक्षण की आवश्यकता को भी आर्थिक तथा अन्य विकासों को बाधित नहीं करना चाहिए। विकास और पर्यावरण दोनों साथ-साथ चलने चाहिएफर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड इम्प्लायीज एसोशिएशन बनाम लॉ सोसायटी ऑफ इण्डिया" के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष जन साधारण से सम्बन्धित आपदा के जोखिमों से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और पोषणीय विकास का प्रश्न विचारार्थ उठाया गया। इस मामले में एक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड इम्प्लायीज एसोशिएशन वृहद स्तर पर रसायन एवं खाद्य का निर्माण करती थी और इस उद्देश्य से अमोनिया द्रव्य का प्रयोग करती थी जिसको उसने विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित (रफ्रिजरेटेड) जहाजों में आयात किया था और एक टैंक में विलिंग्डन द्वीप का भण्डारण किया थाउच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में पोषणीय विकास' के सिद्धान्त को लागू करते हुए यह नियम प्रतिपादित किया गया कि –

"जन साधारण के उपयोगी ऐसे संयंत्रों को जो कुछ जोखिमों के लिए सुमेध है पूर्णरूपेण हमेशा के लिए हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे लोकहित में अस्तित्व में हैकेवल ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त उपाय किये जाने चाहिए।"

भूमि विकास एवं पर्यावरणीय संरक्षण

सामान्यतया न्यायालय की सरकारी नीति की अवैधीकरण की भूमिका का वर्णन करते समय कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें सार्वजनिक पार्क में नर्सिंग होम बनाने", धर्मशाला का निर्माण करने और प्राइवेट नर्सरी स्कूल के निर्माण करने हेतु भूमि के आवंटन को उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया थाइसी प्रकार विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भी उनके ऐसे निर्माण कार्यों अथवा उद्योगों के सम्बन्ध में दी गयी अनुमति को अवैधानिक, शून्य और संविधान के अनुच्छेद 21 के विरूद्ध घोषित किया गया थाजिनके द्वारा भूमि की पूर्व निर्धारित प्रकृति में परिवर्तन हुआ था और ऐसे परिवर्तन से पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का अपक्षीणन होने की सम्भावना उत्पन्न हुई थीन्यायपालिका द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिये जाने का उद्देश्य समाज में रहने वाले व्यक्तियों को वर्तमान तथा भविष्य में 'स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण सुनिश्चित करना रहा हैइस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी "का मामला उल्लेखनीय हैइस रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने तालाब के आवंटन को निरस्त करते हुए निम्नलिखित विचार अभिव्यक्त किया –"समुदाय के तात्विक स्रोत जैसे वन, तालाब, जलाशय, पर्वतीय क्षेत्र (पर्वत) इत्यादि प्रकृति के उपहार हैंये उचित पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखते हैं। – इन्हें समुचित एवं स्वस्थ पर्यावरण द्वारा संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो लोगों को गुणवत्ता पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ बनता है और जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत मूलाधिकार का सार है।"

<u>उपसंहार</u>

न्यायपालिका के समक्ष पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का अपक्षीणन करने वाले कुछ ऐसे कार्यों की वैधानिकता को पर्यावरण संरक्षण तथा संबर्द्धन के सम्बन्ध में चुनौती दी गयी जो विकास की दृष्टि से जनसाधारण के हितों के संवर्द्धनाथ आवश्यक थे परन्तु इनके कारण पारिस्थितिकीय अपक्षीणन तथा पर्यावरणीय प्रदू होना भी अवश्यम्भावी थान्यायपालिका द्वारा ऐसे मामलों में पारिस्थितिकीय संरक्षण तथा वृहद स्तर पर जनसाधारण के हितार्थ किये जाने वाले विकास के कार्यक्रमों के बीच पोषणीय विकास के सिद्धान्त के आधार पर संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया हैइस संदर्भ में कुछ प्रमुख मामलों – दाहनू थर्मल संयंत्र का मामला. सरदार प्रोजेक्ट का मामला. टेहरी बाँध का मामला, तेल पाइप का मामला तथा कोंकण रेलवे का मामला अवलोकनीय है।